

23¹⁰/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
आया। वादी व वकील वकील का बाद
बार आवाज लगाई गए किन्तु कुछ भी
नहीं बने। ना ही वादी अधिकारी जन
की पत्रावली के लक्ष्य प्राप्त हो रहा है।
पत्रावली वर्ष 2012 में प्रेषित हो जिसमें
वादी की उक्त बाद में आगे पत्रावली में
आदि प्रेषित नहीं की जा सके। जिन स्थान
में वादी का बाद आगे पत्रावली व की
में खास की जा सके। पत्रावली के
पत्रावली के बाद से वह ही बाद शायद
दालील दस्तावेज है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपतली-यहरोड़)